निर्देश सं० - 50

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस. टी. सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001

फ.नो.ए-110018/01/2021-सी.ए.क्यू.एम./5133-52 **दिनांक: 17.12.2021**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश के तहत एन. सी. आर. से निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों के सम्बन्ध में।

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिनांक 16.11.2021 के निर्देश संख्या 44 के तहत अन्य बातों के साथ- साथ निर्देश दिया कि "सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन मोड में शिक्षण गतिविधियों की अनुमत होगी।"

2. जबकि, आयोग ने दिनांक 25.11.2021 के निर्देश स.० 45 के तहत निर्णय लिया कि, "एन.सी.आर. राज्य और दिल्ली , जी.एन. सी. टी. एन.सी.आर. मिनी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में वास्तविक कक्षाएं फिर से शुरी करने के लिए उचित निणय ले सकते हैं। यद्यपि, जबभी राज्य सरकारें /जी.एन.सी.टी.डी. ऑनलाइन मोड में शिक्षा जारी रखने के लिए वीकली चुनते हैं, तो ऐसे स्कूल. कॉलेजों शिक्षण संस्थानों पर परीक्षा और प्रयोगात्मक आदि आयोजित कराने के लिए खोले की अनुमत दी जाएगी।"

3.जबकि, बाद में दिनांक 02.12.2021 के निर्देश सं० 46 के तहत आयोग ने अन्य बाटने के साथ-साथ निर्देश दिया की, "एन. सी. आर. में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संसथान बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन मोड में शिक्षा की अनुमति होगी , परीक्षाए और प्रयोगशाला प्रयोगात्मक आदि का सञ्चालन करने की अनुमति होगी ।

4. जबकि, उपरोक्त पारा 03 में दिया गया आयोग का निर्देश वर्तमान में चल रहा है ।

5. जबकि, दिनांक 02/12/2021 निर्देश सं० 46 पारित करे समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू .आई.) "गंभीर" श्रेणी में था।

6. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने रिट याचिका (सी) संख्या 1135/2020"आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य" में दिनांक 10/12/2021 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किया - " हम आयोग को निर्देश देते है कि हमारे पिछले आदेश या आयोग के परिपत्रों के तहत लगाई गई शर्तों में रियायत देने के लिए विभिन्न उद्योगों या संगठनों द्वारा दिए गये निर्देशों की जांच करें "हम उम्मीद कटे हैं कि आयोग इस मामले में गौर करेगा और एक सप्ताह के अंदर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।3. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय के उपरोक्त आदेश के तहत इस सम्बन्ध में दिनांक 27.11.2021 को आयोग ने एक व्याख्यात्मक आदेश जारी किया था।

7. जबकि, बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिसमें स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से खोले ने लिए अत्यावशयकता पर डाली दी गयी है ।

8. जबकि, फिजिकल मोड में स्कूलों को खोलने के लिए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस के प्रतिनिधियों दिनांक 14.12. 2021 को आयोजित आभासी बैठक की सुनवाई की गई।

9. जबकि, स्कूल खोलने के लिए निम्नलिखित दलीलें दी गई: -

(i) लगभग पिछले 02 वर्षों से बच्चे स्कूल से बाहर हैं बच्चों में निराशा होती है और उनकी पढ़ाई पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पढता है ।

(ii) कनेक्टिविटी की समस्या के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ।

(iii) शैक्षणिक पर्याक्रम के अनुसार सालाना लगभग 220 दिनों के लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करना आवशयक है ।

(iv) स्कूल ने खुलने के कारण बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वस्थ्य के साथ भावनात्मक विकास भी बाधित होता है ।

(v) केवल किताबों से ही सीखना नहीं होता है और बच्चे का समग्र विकास व्यावहारिक रूप से स्कूल आने से हो सकता है ।

(vi) अधिकांश छात्र और अभिभावक स्कूल प्राधिकारियों के पास स्कूल पुनः खोलने के लिये अनुरोध करने के लिए आते है ।

10. जबकि, दिल्ली सर्कार ने आपने दिनांक 15.12. 2021 के पत्र के तहत स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों को बन्द करने से सम्बंधित निर्देश सं॰ 46 की समीक्षा करने के लिए लिखा है और दिल्ली में चरणबद्ध ढंग से सार्वजनिक व निजी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं को पुनः खोलने के लिये अनुरोध किया है

11. जबकि, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) ने अपने दिनांक 13.12.2021 के पत्र के तहत सूचित किया है कि सैकड़ों माता पिता ने स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए डी.सी.पी.सी.आर. को पत्र लिझा है क्योंकि डी.सी.पी.सी.आर. का मानना है कि "कस्कूलों को लगातार बंद करने की नीति विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है और इसलिए यह एक गलत नीति है और यह किसी साक्ष्य या तथ्य द्वारा समर्थित नहीं है |"

12. जबकि, माननीय सर्वोच्चन्यायालय रिट याचिका सं॰ 1135/2020 (आदित्य दुबे एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) के समक्ष दिनांक 15.12.2021 के शपथ पत्र में आयोग ने प्रस्तुत किया है की स्कूल खोलने के बारे में निर्णय 17.12. 2021 को या उससे पहले लिया जायेगा|

13. जबकि, वर्त्तमान में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में "गंभीर" श्रेणी "से बहुत खराब" श्रेणी में सुधार हुआ है |

14. अब इसलिए, उपरोक्त स्थिति में और तथ्य एवं परिस्थितियां पर विचार करते हुए दिनांक 02.12.2021 के निर्देश सं॰ ४६ के प्रोत्साहन में आयोग अले आदेश तक निम्नलिखित निर्देश देता है:-

(i) एन.सी.आर. में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के चरणबद्ध तरीके से दुबारा खोलने की पहल की जाएगी ।

(ii) एन. सी.आर. की राज्य सरकारें और जी.एन.सी.टी.डी. स्कूल , कॉलेज और शिक्षण संस्थानों कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और पुस्तकालय में (कक्षा VI से ऊपर) वास्तविक कक्षाएं पुनः शुरू करने के लिये विचार करेंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे ।

(iii) एन.सी.आर. की राज्य सरकारें एवं गई. एन.सी.टी.डी. कक्षा V तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक कक्षाएं केवल 27 दिसम्बर, 2021 से शुरू करने के लिए निर्णय ले सकते हैं ।जो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) और शीट कालीन अवकाश कार्यक्रम पर विचा करके लिया जाएगा|

हस्ता०
अरविन्द नौटियाल
(सदस्य सचिव)
टल नो.: 011 - 23701197
ई-मेल: arvind.kumar@nautiyal@gov.in

सेवा में,
1. शिक्षा सचिव, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, हरियाना सरकार।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
5. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
6. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, गुरुग्राम।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम।

ह
स्ता
०
(**अरविन्द नौटियाल**)
सदस्य सचिव